

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

पीठासीन अधिकारी :- शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान

श्री मांगीलाल पिता फता मीणा वगैरहा,
निवासी कांटाघाटी, भूधर
तहसील ऋषभदेव

बनाम श्री हांजा पिता लाला मीणा वगैरहा,
निवासी कांटाघाटी, भूधर/थापडावली
तहसील ऋषभदेव

दावा बाबत :- धारा 88-188, RT ACT 1955

मुकदमा नम्बर :-46/2008

निर्णय दिनांक :-22.06.2016

वादीगण की ओर से श्री मांगीलाल वगैरहा एवं उनके अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हांजा वगैरहा एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.06.2016 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - प्रकरण में तनकीवार विनिश्चय में तनकी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण के विरुद्ध, तनकी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में तथा तनकी संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध विनिश्चित की गई है, अतः उपर्युक्त तनकीवार विनिश्चय के आधार पर वादीगण का वाद सिद्ध नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 22.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

WS
22/06/16
(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	6.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	1.00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
.....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	6.00
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील	5.00		
जोड	13.00	जोड	9.00